E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 सं0 : 03 / भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16 / 2026पटना, दिनांक :.....

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 12433 दिनांक 12.06.2024, पत्रांक– 12634 दिनांक 29.06.2024 एवं पत्रांक– 12792 दिनांक 18.07.2024 के आलोक में श्री राकेश कुमार कापरी (Emp. ID- AEN14015) का नियोजन संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया।

तत्पश्चात नियोजन के समय श्री कापरी द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र एवं अंकपत्रों की प्रमाणिकता की जांच / सत्यापन हेतु निदेशालय के पत्रांक– 658 दिनांक 24.02.2026 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय यथा Pacific Academy of Higher Education And Research University, Udaipur को भेजा गया। तदालोक कुल सचिव, पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) के क्रम संख्या– 2025-26/4676 दिनांक 27.02.2026 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें श्री कापरी के प्रमाण–पत्र एवं अंकपत्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं करने की पुष्टि करते हुए प्रमाण–पत्र को फर्जी / जाली होने का उल्लेख किया गया है।

एतद् संबंधी सत्यापन सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप निदेशालय पत्रांक– 2243 दिनांक 08.07.2026 द्वारा श्री कापरी को एकपक्ष में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा कथित रूप से निर्गत सत्यापन एवं शुद्धि पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए समर्पित स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि इनका प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत् जारी एवं वैध है।

श्री कापरी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों तथा विश्वविद्यालय के सत्यापन प्रतिवेदन में विरोधाभास पाये जाने के कारण निदेशालय का पत्रांक 2759 दिनांक 14.08.2026 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई, जिसके अनुपालन में विश्वविद्यालय ने क्रम संख्या– 2026-27/4839 दिनांक 19.08.2026 के माध्यम से पुनः स्पष्ट किया है कि श्री कापरी द्वारा प्रस्तुत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तथा उक्त दस्तावेज फर्जी / जाली है।

इस प्रकार संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त सभी सत्यापन प्रतिवेदन एवं श्री कापरी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्रत्युत्तर तथा संलग्न दस्तावेजों के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा फर्जी / गलत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है, जो नियोजन के मूल शर्तों एवं निर्धारित अर्हताओं का गंभीर उल्लंघन है। फलस्वरूप इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना समीचीन है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों एवं विश्वविद्यालय के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022 एवं Term of Assignment के कंडिका–4 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री राकेश कुमार कापरी (Emp. ID- AEN14015), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

ह0 / –
(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2026\Amit Sir\Order\16-2026-02-11-2026- Farzi (Rakesh Kumar) Memo.doc

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 3978 **पटना, दिनांक** 06/11/2026

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.11.26

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 3978 **पटना, दिनांक** 06/11/2026

प्रतिलिपि : श्री राकेश कुमार कापरी (Emp. ID- AEN14015), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

6.11.26

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 3978 **पटना, दिनांक** 06/11/2026

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं R2R के अन्तर्गत व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

6.11.26

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप।